5

हमारे मौलिक अधिकार

भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और न्यायालयो के बारे में तो तुम पढ़ ही चुके हो। पर संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में तो हम ने अभी तक नहीं पढ़ा। ये अधिकार काफी महत्वपूर्ण हैं। हर एक भारतीय व्यक्ति को ये अधिकार हैं। संविधान के तीसरे भाग में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें 'नागरिको के मौलिक अधिकार' कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन में से कोई अधिकार नहीं दिया जाता तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय मे मुकदमा कर सकता है। सरकार का यह काम है कि वह हर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारो की रक्षा करे।

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं?

1. जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार

भारत में रह रहे सभी लोगो को जीने का अधिकार है। यानी कोई भी उनकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है।

भारत के हर नागरिक को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कहीं ले जाया जाए, या किसी को कहीं जाने से रोका जाए, तो हम कहते हैं कि उसकी निजी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है। यदि पुलिस ऐसे व्यक्ति की रक्षा न करे तो सरकार पर मुकदमा किया जा सकता है।

हां, जब कोई व्यक्ति कोई कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। पर जब तक वह जुर्म साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है।

जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाए तो क्या किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण पढ़ोः

एक व्यक्ति, भोमा चरन ओराओं को मजिस्ट्रेट ने पागलखाने भेज दिया। भोमा चरन ओराओं पर मुकदमा चल रहा था। पागलखाने के सुपरिटेण्डेट ने 6 महीने बाद ही मजिस्ट्रेट को बताया कि भोमा बिल्कुल ठीक है और पागलखाने से जा सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। भोमा 6 साल तक पागलखाने में पड़ा रहा।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में भोमा की ओर से मुकदमा किया गया। यह साबित हुआ कि भोमा का जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया था। न्यायाधीश ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वह मुआवज़े के रूप में भोमा को 15,000 रु. दे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि, "भोमा को कितना भी मुआवज़ा दिया जाए, उस मुआवज़े से उसके उन 6 वर्षो का जीवन नहीं लौट सकता जो भोमा ने 'जीवित मौत' की हालत में बिताए हैं।"

अपने शब्दों में दो वाक्य लिखो कि भीमाचरण के मौलिक अधिकार का कैसे हनन हुआ था। ऐसा एक और उदाहरण लिखो जहां जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता हो।

2. स्वतंत्रता के अन्य अधिकार

जीने की स्वतंत्रता तो हम सब को है ही और अपनी इच्छा अनुसार रहने की भी। इसके अलावा—

- अपनी इच्छा अनुसार रोज़गार करने की स्वतंत्रता

भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार काम (रोज़गार) कर सकता है। कोई उससे ज़बर्दस्ती ऐसा काम नहीं करवा सकता, जो वह करना नहीं चाहता है।

मान लो कोई व्यक्ति आम बेचने का धंधा करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। पर अगर वह किसी और से आम चोरी कर के बेचे तो उसे ज़रूर रोका जा सकता है, चूंकि वह किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा है।

- भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता

भारत के वासी भारत में कहीं भी जा कर रह सकते हैं, बस सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। इसके लिए किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है।

हमारी एक मित्र सुकन्या की कहानी सुनो। सुकन्या का जन्म मद्रास शहर के पास एक गांव में हुआ था। दस वर्ष की उम्र में वह अपने माता-पिता के साथ पटना शहर में आ गई। वहां से स्कूली पढ़ाई खत्म करके वह कलकत्ते में कालेज में पढ़ने गई। फिर उसे वहीं नौकरी मिल गई और उसने वहीं शादी भी कर ली। उसने और उसके पति ने मिल कर कलकत्ते में ही अपने लिए एक मकान बना लिया। कोई उसे नौकरी या मकान से यह कह कर नहीं निकाल सकता कि वह पटना (बिहार) से आई है या चूंकि मद्रास के पास उसका जन्म हुआ था।

- भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता

हर भारतीय को यह अधिकार भी है कि वह भारत के किसी भी हिस्से में आज़ादी से आ जा सकता है। सुकन्या हर साल हिमाचल, पचमढ़ी जैसी जगहों में घूमने जाती है। उसे कोई कहीं नहीं रोक सकता।

- समिति बनाने का व सभा करने का अधिकार

देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपस में बातचीत करनी पड़ती है। इसलिए कहीं भी इकट्ठे होकर सभा बुलाने की स्वतंत्रता भी हमें है। हां, यह सच है कि आम तौर से, जिस भी स्थान पर हम सभा करें, वहां के प्रशासन को सूचित करना और कभी-कभी उनसे अनुमति लेना ज़रूरी होता है।

आमसभा

- अपने मन की बात स्वतंत्र रूप से कहने या छापने की स्वतंत्रता

ऐसी किसी भी सभा मे या किसी भी व्यक्ति से अपने मन की बात खुलकर कहने की आज़ादी है। अपने विचारो को स्वतंत्र रूप से छापने की आज़ादी भी है हम भारतवासियो को। पर यदि हम ऐसी चीज़ कहें या छापें जो गलत है और जिससे दूसरो के जीवन को हानि होती है, तो हमें यह कहने या छापने का अधिकार नही है।

इन अधिकारों के हनन के भी कुछ उदाहरण हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरो मे भारत के दूर दराज़ के गांवो से लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं। उन्हें पक्की नौकरी तो नही मिलती - कुछ दिनो के लिए एक जगह काम कर लेते हैं, कुछ दिनो के लिए दूसरी जगह। रहने के लिए उनके पास जगह भी नही होती तो वे सड़क के किनारे की पटरियों पर झुग्गियां बना लेते हैं।

कुछ सालो पहले बम्बई के नगर निगम ने, कई वर्षों से पटरियो पर रह रहे 50,000 लोगो को वहां से हटाने के लिए उनकी झुग्गियां तोड़नी शुरू की। 1982 मे सर्वोच्च न्यायालय मे उनकी ओर से मुकदमा किया गया। उनके वकीलो का कहना था कि इन झुग्गीवासियो को तब तक पटरियो से नही हटाया जा सकता जब तक कि वे सड़क पर चलने वालो के रास्ते मे बाधा न उत्पन्न करें। यदि उन्हे पटरियो पर से हटाया गया तो उनके व्यवसाय करने और भारत में कही भी बस कर रहने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

इस मुकदमे के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने इन 50,000 लोगो की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने पर रोक लगा दी थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि बंबई की सड़को की पटरियो पर रह रहे लोगो के लिए सरकार दूसरी जगह का प्रबंध करे और उसके बाद ही उन्हें पटरियो पर से हटाया जाए। नगर निगम ने उनकी झुग्गियां तोड़ कर उन्हें पटरियो पर से हटा तो दिया पर दूसरी जगह पर उनके रहने का प्रबन्ध ठीक से नही किया।

क्या तुमने कभी ऐसे किस्से सुने हैं जिनमें ऊपर दिए अधिकारों का हनन हुआ है ?
जब अखबार या पत्रिकाएं पढ़ो तो उनमें ऐसे किस्से ढूंढो।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से ज़ोर ज़बर्दस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यानी यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़ कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नही जा सकता। इसके अलावा उसे नियम से कम मज़दूरी या खराब परिस्थितियो में ज़बर्दस्ती काम करने पर मजबूर नही किया जाएगा।

बंधुआ मज़दूरी की प्रथा में मज़दूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है क्योकि उसे मजबूर होकर एक ही ज़मीदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है।

क्या तुम बता सकते हो कि यह मजबूरी किन कारणों से होती है?

1982 में जब दिल्ली एशियाड खेल हुए थे, तब बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश से कई मज़दूरो को ठेकेदार काम करने के लिए लाए थे। वहां बहुत ही कम पैसो मे उनसे काम करवाया जा रहा था। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में यह दावा किया गया कि इन मज़दूरो का शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, क्योकि बहुत कम पैसो पर काम करने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा है। साथ ही इन मज़दूरो की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का भी हनन हो रहा है।

इस मुकदमे मे सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि

गरीबी की वजह से यदि कोई कम पैसो मे काम करने को तैयार हो जाए तो यह उससे ज़बरदस्ती काम करवाने के बराबर है। इससे उन मज़दूरो के 'शोषण के विरुद्ध' मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसीलिए न्यूनतम मज़दूरी से कम में यदि कोई काम करवाता है तो सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उसे रोके। अगर सरकार ऐसा नही करती, तो उसके विरुद्ध इन मज़दूरो के मौलिक अधिकारो की रक्षा न करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है।

अब हाली और हरवाहे को एक बार उधार देकर साल दर साल काम करवाते रहना मना हो गया है। इसीलिए मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ और बिहार व उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में बंधुआ मज़दूरो की ओर से 'शोषण के विरुद्ध' अधिकार के हनन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई मुकदमे किए गए हैं। ऐसे एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि वह छत्तीसगढ़ के 693 बंधुआ मज़दूरो को मुक्त करा कर उनके पुनर्वास का प्रबंध करे। हर मज़दूर को इस आदेश के अंतर्गत 4000 रुपए दिए गए।

इसी अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो से किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम नही करवाया जा सकता। उन्हे और किसी खतरनाक काम मे भी नही लगाया जा सकता (जैसे रेलवे मे किसी काम में, या बीड़ी बनाने, माचिस व आतिशबाज़ी, सीमेन्ट बनाने, गलीचा बनाने, साबुन बनाने, कपड़े की छपाई, रंगाई, व बुनाई आदि कामों में)।

तुम्हारे गांव/शहर में लोगों के और बच्चों के ये अधिकार माने जाते हैं या नहीं?

समानता का अधिकार

संविधान के अनुसार सभी भारतीय नागरिको के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। यह एक

एक बंधुआ मज़दूर

मौलिक अधिकार है। इस का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर या उसके औरत या आदमी होने के आधार पर या उसके किसी विशेष जाति के होने के आधार पर या किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहो पर, जैसे दुकानें, होटल या सिनेमा घर में जाने से या कुओं व तालाबो का पानी उपयोग करने से रोका नही जा सकता है। उसी प्रकार किसी नौकरी या व्यवसाय को करने से भी इन में से किसी आधार पर लोगो को नही रोका जा सकता।

उदाहरण के लिए यदि किसी होटल पर कोई महिला नाश्ता करने जाती है और होटल वाला उसे नाश्ता देने से यह कह कर इन्कार कर देता है कि वह अपने

होटल पर महिलाओं को खाना नही देता तो वह उस महिला के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है।

क्या तुम और उदहारण सोच सकते हो जिन में इस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है?

5. अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार

चूंकि सैकड़ो सालो से आदिवासियो व हरिजनो की जिन्दगी शोषण व असमानता से भरी रही है, इसलिए संविधान में ही पिछड़े वर्गो के लोगो को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए इस तरह जिन धर्मो के लोगो की संख्या कम हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

उदाहरण के लिए आदिवासियो और हरिजनो के लिए संसद व विधानसभा की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियो के पद आरक्षित होते हैं। इन पदो पर आदिवासी और हरिजनो के अलावा कोई व्यक्ति नही काम कर सकता।

अल्पसंख्यको (यानी जिस धर्म या समाज के लोग कम हो), को अपने समाज की संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है।

6. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

इसी के साथ जुड़ी हुई है धर्म की स्वतंत्रता। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी, व्यक्तिगत रूप से अपने धार्मिक रीति-रिवाजो का पालन करने से नही रोका जा सकता है। पर किसी भी सरकारी दफ्तर, शाला या संस्था में किसी भी धर्म के रीति-रिवाज नही अपनाए जा सकते। इन स्थानो पर (शासकीय शाला, दफ्तर या संस्था में) नमाज पढ़ना, पूजा करना, भजन गाना, गुरबानी या किसी धार्मिक ग्रंथ (कुरान, रामायण, बाइबल) का वाचन करवाना, कानून के हिसाब से गलत है।

सरकार का कोई एक धर्म नही। उसे सभी धर्मो के साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। ये सब बाते भी हमारे संविधान में दी गई हैं।

7. मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार

कही पर भी यदि मौलिक अधिकारो का हनन हो रहा हो तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो मुकदमे मौलिक अधिकारो के हनन पर किए जाते हैं, उन्हें लोक हित के मुकदमे कहते हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह भारतीय नागिरको के मौलिक अधिकारो की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नही करती तो उसके विरुद्ध लोक हित का मुकदमा किया जा सकता है।

लोक हित के मुकदमों की कुछ और विशेषताएं हैं— जिनके मौलिक अधिकारो का हनन किया जा रहा है, उनकी और से कोई भी व्यक्ति लोक हित के मुकदमे कर सकता है।

इस तरह का एक ही मुकदमा उन सब व्यक्तियो की ओर से किया जा सकता है, जिनके उसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो।

उदाहरण के लिए यदि एक जगह पर 50,000 लोग रह रहे हो। एक बांध के बनने से वह जगह डूब में आ रही है। उन 50,000 लोगों के—

स्वतंत्र जीवन बिताने, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने व भारत में किसी भी जगह बस कर रहने

की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन सभी 50,000 लोगो की ओर से एक मुकदमा किया जा सकता है। 50,000 अलग-अलग मुकदमे हर एक व्यक्ति के लिए करने की ज़रूरत नही है। जो भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय देती है, वह इन सभी लोगो पर लागू होग।

यह बात लोगो के लिए कैसे फायदेमंद है- सोच कर समझाओ।

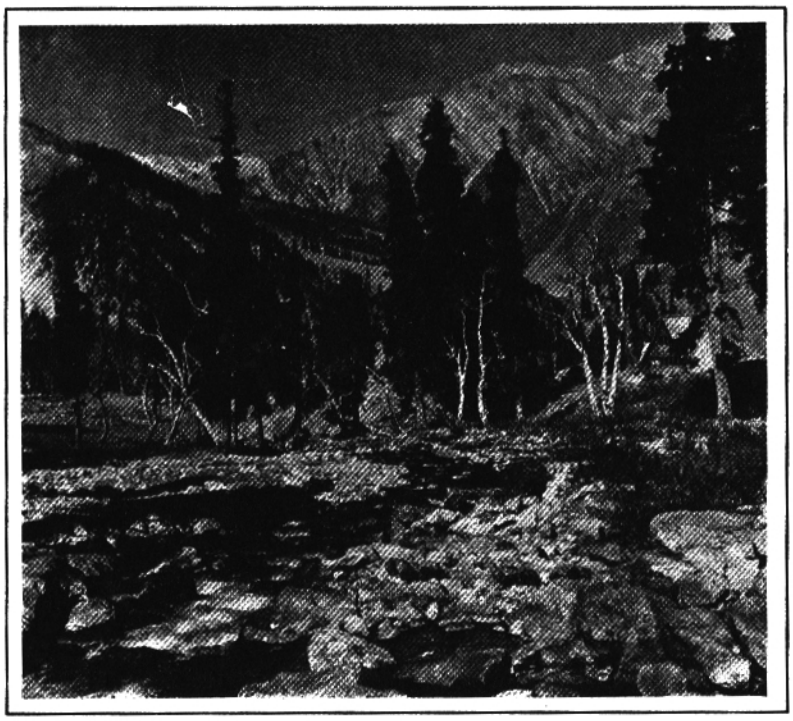

हमारे जंगल, तालाब नदियों आदि की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है

हमारे मौलिक कर्त्तव्य

हम सबके मौलिक अधिकारो के बारे मे तो तुमने पढ़ लिया। पर इन अधिकारों को पाने के लिए हमे भी कुछ कर्त्तव्य निभाने पड़ते हैं। समाज के प्रति हमारे जो कर्त्तव्य संविधान मे लिखे हैं वे इस प्रकार हैं।

1. संविधान का पालन करना

संविधान का पालन करना हमारा कर्त्तव्य है। यानी हमें संविधान मे लिखी सभी चीज़ो का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का अपमान नही करना चाहिए।

पर यदि संविधान मे कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जिससे अधिकांश लोगो को नुकसान होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? संविधान की ऐसी चीज़ों को बदलने के भी तरीके हैं। ये तरीके संविधान मे ही दिए गए हैं।

2. स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों पर चलना

भारत को अंग्रेज़ शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए लाखो भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया था। इस संघर्ष मे उन्होने कुछ आदर्श अपनाए थे। जैसे सच्चाई के लिए लड़ना। साधारण लोगो और गरीबो के हितों के लिए आवाज़ उठाना। अन्याय सहन न करना। इन सब आदर्शो पर चलना हमारा कर्त्तव्य है।

3. पर्यावरण की रक्षा करना

यदि किसी फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी किसी नदी में मिलता है, या कही बड़े बांध बनने से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जंगल कट रहा है, तो हम सबका कर्त्तव्य है कि ऐसा न होने दें।

4. महिलाओं का सम्मान करना और उनका अपमान रोकना।

जहां भी महिलाओं का अपमान होता है, हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसका विरोध करें। यदि कोई भी लड़कियो को छेड़ता है या दहेज लेता है, या अपनी पत्नी को पीटता है तो वह एक दण्डनीय अपराध कर

रहा है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे रोकें या ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को सज़ा दिलवाएं।

5. भारत के सभी क्षेत्रों, धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना

हमारा कर्त्तव्य है कि हम सांप्रदायिक, जातीय या क्षेत्रीय दंगो को फैलने से रोकें। यदि कोई ऐसे दंगे करवाता है या फैलाता है, तो उसे पकड़वाना और सज़ा दिलवाना हमारा कर्त्तव्य है।

6. भारत की एकता बनाए रखना

इस तरह, भारत में रह रहे सभी लोगो के बीच सद्भाव रखकर, भारत की एकता को बनाए रखना भी हमारा कर्त्तव्य है।

7. वैज्ञानिक मानसिकता व मानवता का विकास करना।

वैज्ञानिक मानसिकता, मानवता और जिज्ञासा का विकास करना, हर भारतीय का कर्त्तव्य है। आसपास हो रही प्रक्रियाओं और घटनाओं के कारण ढूंढना, सवाल करना, बिना सोचे समझे किसी की बात न मान लेना, यही सब वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करते हैं। मानवता का मतलब है सभी मनुष्यों का आदर व सम्मान करना। सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।

8. देश की रक्षा करना

अपने देश की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। यही नही, अपने कामों से अपने देश को हर क्षेत्र (कृषि, उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, खेलकूद) में आगे बढ़ाना भी हमारा कर्त्तव्य है।

9. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना

सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे बस, अस्पताल, स्कूल आदि की रक्षा करना, उन्हें अच्छी स्थिति में रखना ये हमारे कर्त्तव्य हैं।

तुम अपने गांव व शहर के लोगों के व्यवहार पर चर्चा करके समझो कि किन कर्त्तव्यों का पालन किया जाता है और किन कर्त्तव्यों का उल्लंघन होता है?

अभ्यास के प्रश्न

1. हमारे कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं ? किन्हीं दो मौलिक अधिकारो के हनन का एक-एक उदाहरण दो।
2. एक 10 वर्षीय लड़का है। बहुत ग़रीब है तो स्कूल न जा कर वह शिवाकाशी के माचिस के कारखाने में काम करता है। उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? यदि किसी को इसके बारे मे पता चलता है तो वह क्या कर सकता है?
4. गांवो मे सरकार ने कुआं बनवाया। यदि हरिजनों को वहां पर पानी भरने से रोका जाए तो उनके किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है?
5. लोक हित का मुकदमा कब और कहां किया जाता है? ऐसा मुकदमा कौन किस के विरुद्ध कर सकता है?
6. हमारे कौन-कौन से मौलिक कर्त्तव्य हैं?
7. यदि रमेश अपनी पत्नी को मारता है और उसको गाली बकता है, तो वह अपने किस मौलिक कर्त्तव्य को पूरा नही करता?
8. यदि राम प्यारे दूसरे समाज के बारे मे बुरी अफवाहें फैलाता है तो वह किस मौलिक कर्त्तव्य का पालन नही कर रहा है?